प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय आदेश

श्री शुभम कुमार, पुत्र – स्व0 अजीत कुमार राम, भूतपूर्व झाड़ूकश, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर वर्तमान पता – रूसुलपुर सालिम, पो0 – उमानगर, थाना – अहियापुर, जिला – मुजफ्फरपुर पिनकोड – 842004 को अनुकम्पा के आधार पर इस चिकित्सा महाविद्यालय में आदेशपाल के रिक्त पद पर इनकी औपबंधिक रूप से नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। ग्रेड पे 1800/– के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ निम्नलिखित शर्तो के साथ की जाती है :–

1) यह कि नियुक्ति जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक – 1205/स्था0 दिनांक – 30.07.2022 द्वारा अनुशंसा के आलोक में तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या – 11946/का0 दिनांक – 30.11.1984, 13293 दिनांक – 05.10.1991, 2822 दिनांक – 27.04.1995, 8093 दिनांक – 25.07.1998, 367 दिनांक – 11.02.2004 एवं 5958 दिनांक – 25.04.2012 के निहित निर्देशो एवं शर्तो के आलोक में सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों को उनके आश्रितों के रूप में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जा रही है।
2) स्व0 अजीत कुमार राम, भूतपूर्व झाड़ूकश, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के आश्रित परिवार के भरन–पोषण का दायित्व श्री शुभम कुमार पर होगा। उतरदायित्व का निवर्हन पूरी तत्परता के साथ नही करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा, इसके लिए उनके विरूद्व नियमानुसार समुचित कार्रवाई भी की जाऐगी। इसके अलावा उतरदायित्व की अवहेलना की समपुष्टि होने पर उनकी उपलब्धियों में से एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश अधोहस्ताक्षरी दे सकते है। उक्त आशय का घोषणा–पत्र योगदान के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं
3) नियुक्ति पद पर योगदन करते समय शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण –पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति तथा असैनिकल शल्य चिकित्सा –सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत किए गए स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा योगदन स्वीकृत नही किया जाएगा।
4) योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
5) किसी तरह की गलत सूचना या धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जाएगा, बल्कि आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाएगा।
6) शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण–पत्रों के सत्यापन उपरान्त गलत अवैध जाली पाया जाता है तो न केवल आपकी नियुक्ति रद्व कर दी जाएगी बल्कि आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाएगा।
7) संबंधित विभाग के पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रमाण–पत्रों का सत्यापन तथा पूर्ण रूपेण संतुष्ट होने एवं आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त वेतनदि के भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
8) शादी– विवाह में तिलक दहेज नही लेने देने संबंधी शपथ–पत्र योगदान के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9) आप अपना योगदान प्राचार्य कार्यालय, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के यहॉ देंगें। आदेश अवहेलना के आलोक में किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ह0/–
प्राचार्य

ज्ञापांक :– 697/22 दिनांक :– 20-10-22
प्रतिलिपि :–
1) श्री शुभम कुमार, पुत्र – स्व0 अजीत कुमार राम, भूतपूर्व झाड़ूकश, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर वर्तमान पता – रूसुलपुर सालिम, पो0 – उमानगर, थाना – अहियापुर, जिला – मुजफ्फरपुर पिन कोड – 842004 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
2) जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक – 1205/स्था0 दिनांक – 30.07.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4) बरसर/लेखापाल/विपत्र लिपिक/स्थापना लिपिक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5) कॉलेज बेवसाईट।

25/10/22

प्राचार्य,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर
20/10/22